

**प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29.12.2015 को संपन्न विभागीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-**

---

सभी पदाधिकारियों को प्रशाखावार आवंटित कार्यों पर समीक्षा करने और अग्रेत्तर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

सभी विभागीय कार्यक्रमों में बजट प्रावधान का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी नोडल पदाधिकारी, अपने आवंटित जिले का विशेष अनुश्रवण करेंगे और योजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं का स्वयं अभिरूचि लेकर निराकरण कराएंगे।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 12000 (बारह हजार) से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत क्षेत्र बनाने के संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों से प्रस्ताव माँगा गया है। इस कार्य के अनुश्रवण हेतु विभाग के स्तर पर विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक कोषांग गठित की जाय। यह कोषांग प्रतिदिन के आधार पर जिलों से समन्वय कर प्रतिवेदन प्राप्त करेगी।

➤ **प्रशाखा-01 से संबंधित कार्य :-**

1. DUDA में सेवानिवृत्त अभियंताओं की पदस्थापना एवं प्रशिक्षण।
2. सेवा नियमावलियों का गठन।
3. बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजना।
4. अधीनस्थ कार्यालय यथा बुडा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
5. नगर प्रशासन निदेशालय, SPMG एवं BUDA कार्यालय को नये परिसर में चालू कराना।
6. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
7. विभाग के सभी कर्मियों की दूरभाष निर्देशिका एवं ई०मेल आई०डी० तैयार करना।
8. **ई० ऑफिस लागू करना :-**

इस हेतु जो भी कार्रवाई की जानी है, उसे पूर्ण कर शीघ्र ही विभाग में ई० ऑफिस लागू कराया जाय। यह आई०टी० मैनेजर की जिम्मेदारी होगी।

9. **नगर निकाय प्रतिनिधियों को आईपैड की व्यवस्था :-**

नगर निकाय क्षेत्रों में योजनाओं के समुचित पर्यवेक्षण एवं Recordkeeping के दृष्टिकोण से सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को एक आईपैड, सरकारी खर्च पर सभी सदस्यों को दिया जाएगा। इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

10. बिहार शहरी प्रशासन संस्थान :-

राज्य में शहरी प्रशासन के सुदृढीकरण के लिए क्षमतावर्द्धन आवश्यक है। इस हेतु राजधानी पटना में Bihar Centre for Urban Governance की स्थापना की जाएगी।

इसकी संचिका शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। श्री सपन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

11. Retired personnel recruitment against sec 36, post (ग्रुप "क" एवं "ख")।

➤ प्रशाखा-02 से संबंधित कार्य :-

1. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना में राशि की विमुक्ति एवं PMU का गठन करते हुए डूडा के अभियंताओं के साथ मासिक समीक्षा एवं मासिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना। इस प्रतिवेदन के आधार पर सभी जिला पदाधिकारियों को मासिक समीक्षा टिप्पणी का प्रेषण करना।
2. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की पुस्तिका तैयार करना।
3. राज्य योजना के अंतर्गत 20 जुलाई 2015 तक सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना एवं निधि की विमुक्ति सुनिश्चित करना।
4. राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की पुस्तिका तैयार करना।
5. राज्य योजना के अंतर्गत पूर्व से मंजूर योजनाओं में बची हुई अवशेष राशि की विमुक्ति करना।
6. राज्य योजना में नगर निकायों से भिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मासिक समीक्षा विभाग के स्तर पर करने की व्यवस्था :-

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर इसकी बैठक आयोजित कराने का निर्देश दिया गया।

7. राज्य योजना एवं मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की योजनावार समीक्षा के लिए MIS की व्यवस्था।
8. State Quality Monitoring Cell चालू करना।
9. गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जयन्ती की तैयारी हेतु प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

### 10. मुख्यमंत्री नगर स्वच्छता प्रोत्साहन अनुदान :-

- (i) राज्य की सभी 141 शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए वार्षिक तौर पर प्रोत्साहन स्वरूप "स्वच्छता सहायक अनुदान" दिया जाएगा। यह अनुदान प्रति परिवार प्रति वर्ष 1200/-(बारह सौ रुपये) रुपये की दर से हर वर्ष में दो किस्तों में देय होगा। इस पर पूरे राज्य में लगभग 250.00 करोड़ (दो अरब पच्चास करोड़ रुपये) रुपये प्रतिवर्ष व्यय होगा।

स्वच्छता अनुदान में दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु नगर निकायों को स्मार पत्र भेजा जाय।

- (ii) नगर निकाय इस राशि का उपयोग शहर में सफाई व्यवस्था हेतु करेगी। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे :-

- (क) डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण
- (ख) कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय
- (ग) कचरे के प्रबंधन हेतु कचरा निस्तारण केन्द्र का क्रय/विकास
- (घ) कचरे से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता
- (ङ) नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढीकरण
- (च) सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलब्ध कराना।

- (iii) यह अनुदान इस वर्ष सभी नगर निकायों को देय होगा। अगले वर्ष से यह अनुदान वैसी नगर निकायों, जिनके तटस्थ मूल्यांकन के फलस्वरूप यह पाया जाय कि इन सभी घटकों पर अमल हो रहा है, उन्हें ही आवंटन दिया जा सकेगा।

### 11. भूमि क्रय नीति :-

भूमि क्रय नीति का Reporting Format तैयार करके, सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

12. BRGF की अपूर्ण योजनाओं की पूर्णता।

13. मुख्यमंत्री शहरी जलापूर्ति प्रोत्साहन योजना।

14. सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था।

15. सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था :-

- (क) राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- (ख) भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय।
- (ग) शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
- (घ) शहरी स्थानीय निकाय, सतत् संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्रवाई करें।
- (ङ) इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बड़ी आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- (च) शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें पाईप जलापूर्ति योजना लेने पर योजना की लागत का हिस्सा, शहरी स्थानीय निकाय वहन करने के लिए तैयार हो तो प्रोत्साहन स्वरूप राशि राज्य योजना से अतिरिक्त अनुदान के रूप में देने का प्रावधान हो। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार की सहायता एक वार्ड तक सिमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
- (छ) बिहार राज्य जल पर्षद का ढाँचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- (ज) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।

#### 16. सिवरेज की व्यवस्था :-

- (क) भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय एवं पत्राचार सुनिश्चित किया जाय।
- (ख) कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाय।
- (ग) नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।

- (घ) गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय आदि।
- (ङ) गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रोत्तर कार्रवाई की जाय।
- (च) पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

#### 17. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :-

- (क) स्वच्छता अनुदान घटक का कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।
- (ख) पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय।

#### 18. जल निसरण :-

इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसी के तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।

#### 19. स्ट्रीट लाईट :-

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

#### 20. पार्क एवं हरियाली विस्तार :-

- (क) पटना के पार्कों का गठित सोसाईटी के माध्यम से प्रभावी प्रबंधन कराया जाय।
- (ख) अन्य शहरों में पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- (ग) पार्क/हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

21. सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित सुशासन के निम्नवत 11 नीति/कार्यक्रम शामिल हैं :-

- (i) बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) सभी शहरी घरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।
- (iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन-सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

➤ प्रशाखा-03 से संबंधित कार्य :-

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए यथोचित कदम उठाना।
2. JnNURM के सभी घटकों में लिए गए कार्यों की मासिक समीक्षा करते हुए पूर्णता सुनिश्चित कराना :-

JnNURM की सभी योजनाओं का कड़ा अनुश्रवण एक सप्ताह के अंदर की जाय एवं उन योजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करायी जाय।

JnNURM के अंतर्गत बुडको द्वारा कार्यान्वित हो रहे योजनाओं में भारत सरकार से पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस हेतु भारत सरकार को पत्र भेजा जाय। श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक इसे सुनिश्चित करेंगे।

3. JnNURM की सभी घटकों की पुस्तिका तैयार करना :-

JnNURM की मात्र 04 योजनाओं में ही भारत सरकार द्वारा AMRUT के अंतर्गत निधि दी जा रही है, जबकि इससे अधिक योजनाओं को निधि मिलना चाहिए। इस हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजने का निर्देश दिया गया।

4. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) से संबंधित कार्य :-

- (i) शौचालय निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मात्र 4,000/-रूपये प्रति परिवार केन्द्रांश अनुदान दिया जा रहा है और यह अपेक्षा की गयी है कि राज्य सरकार 1333/-रूपये राज्यांश राशि इसमें शामिल करें। राज्य सरकार द्वारा यह महसूस किया गया है कि 5333/-रूपये से शौचालय का निर्माण करना संभव नहीं है।

- (ii) इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी शहरी शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार अपने खजाने से 8,000/-रूपये की सहायता देगी। इस प्रकार प्रत्येक परिवार को 12,000/-रूपये प्रोत्साहन राशि शौचालय निर्माण हेतु मिलेगी। इस पर 4 वर्ष में कुल 600.00 करोड़ (छः सौ करोड़ रूपये) रूपये का व्यय होगा।
- (iii) सभी नगर निकायों से यह अपेक्षा है कि अगले चार वित्तीय वर्षों के अंतर्गत शौचालय विहीन सभी परिवारों के घरों में अनिवार्य रूप से शौचालय की व्यवस्था करा लें। इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित शहरी निकायों द्वारा लाभान्वितों के माध्यम से कराया जाएगा।
- (iv) वित्त विभाग द्वारा वैयक्तिक शौचालय की राशि स्वच्छ भारत मिशन में खर्च करने की अनुमति दी गयी है। उसके आलोक में राशि निर्गत की जाय।
- (v) SBM की राशि की निकासी हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

#### 5. शहरी परिवहन :-

- (क) पटना में बस स्टैण्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस हेतु HUDCO से ऋण के मामले में राज्य सरकार की गारंटी संबंधी विषय पर वित्त विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाय। HUDCO से भिन्न, यदि कोई अन्य संस्था कम दर पर ऋण देती हो तो उसकी भी संभावना तलाशी जाय।
- (ख) उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने-जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
- (ग) नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाय।
- (घ) शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांसों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार-विमर्श किया जाय।
- (ङ) सभी जिला मुख्यालय शहरों में ट्रॉफिक लाईट को विस्तारित किया जाय।

#### 6. सबके लिए शौचालय :-

- (क) हर घर में शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय। कार्यान्वयन में खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
- (ख) सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों का संधारण परिवार आधारित हो।

(ग) सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार-विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।

**7. सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित सुशासन के निम्नवत 11 नीति/कार्यक्रम शामिल हैं :-**

- (i) चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- (iii) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।
- (iv) पटना शहर में मेट्रो रेल परियोजना को गति दी जाएगी।

**8. SBM में राज्यांश का प्रावधान :-**

SBM में राज्यांश का प्रावधान कर सभी नगर निकायों को शीघ्र राशि आवंटित करने का निर्देश दिया गया। यह श्रीमती इन्दु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी की निजी जिम्मेदारी है।

9. MIS.

10. फोटोग्राफी।

11. भारत सरकार को प्रस्ताव भेजना।

12. Separate Review.

➤ **प्रशाखा-04 से संबंधित कार्य :-**

**1. सबके लिए आवास (शहरी) :-**

(क) शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके, प्रस्ताव गठित किया जाय।



- (ख) Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
- (ग) बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाय। लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने संबंधी सरकार के निर्णय को शीघ्र कार्यरूप दिया जाय। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
- (घ) आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक प्लैट बनाने का प्रयास किया जाय।

2. **BSUP की पूर्णता प्रमाण पत्र भेजना :-**

इस संबंध में HFA POA सभी नगर निकायों से एक सप्ताह के अंदर प्राप्त की जाय। श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक इसे सुनिश्चित करेंगे।

3. IHS DP एवं RAY की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करना।
4. आवास योजना का MIS लागू करना।
5. आवास हेतु भूमि नीति।
6. SECC on RTPS.
7. AWAS Soft.
8. GPS.

आदर्श आचार संहिता के कारण जो भी कार्य लंबित थे, उसे संचिका में उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया।

**NULM से संबंधित कार्य :-**

1. NULM की Skill Training Component के विकेन्द्रीकरण की मार्गदर्शिका जारी करना।
2. NULM के सभी घटकों में तीव्र प्रगति सुनिश्चित करना।

➤ **प्रशाखा-05 से संबंधित कार्य :-**

1. **नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त/संविदा आधारित कर्मियों की नियुक्ति हेतु नीति बनाना :-**

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श को समावेशित कर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संलेख उपस्थापित किया जाय, जिसमें प्रस्तावित दिशानिर्देश का प्रारूप संकल्प के रूप में संलग्न रहे।

श्री अजय कुमार पांडेय, उप सचिव को शीघ्र संचिका में उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में निहित राज्य सरकार के दायित्वों का निर्वहन करना :-

इस संबंध में राज्य सरकार के दायित्वों की सूची एक सप्ताह के अंदर तैयार करने का निर्देश दिया गया। श्री अजय कुमार पांडेय, उप सचिव इसे सुनिश्चित करेंगे।

3. सुनिश्चित करना कि नगर निकाय समय पर अपना बजट तैयार करें और उसकी स्वीकृति सरकार से ससमय हो।

4. नगर निकायों के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु कार्रवाई करना:-

सभी नगर निकायों से स्वीकृत रिक्त पद रोस्टर के साथ सूची प्राप्त करने हेतु पत्र मासिक समीक्षा बैठक के 5 दिन पूर्व भेजा जाय और उनसे अनुरोध किया जाय कि बैठक के दिन सूची लेकर उपस्थित हों ताकि समेकित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जा सके।

श्री अजय कुमार पांडेय, उप सचिव, इसकी समीक्षा करके, संचिका में उपस्थापित करेंगे।

5. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि हेतु कड़ा अनुश्रवण करना :-

इसके अनुश्रवण हेतु SPUR के सहयोग से एक सेल गठित की जाय ताकि नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

6. नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों हेतु कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू करना यथा स्वास्थ्य बीमा, दैनिक कर्मियों के लिए यूनिफार्म आदि सभी पहलुओं पर कार्रवाई करना।

7. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।

8. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना।

9. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग-अलग संचिका खोलकर मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।

10. प्रशाखा-5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के रूप में तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।

**11. शहरी स्थानीय निकायों की प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति देने की शक्तियों में वृद्धि:-**

- (i) राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों की प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति 1.00 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है। नगर परिषदें 50.00 लाख रुपये तक एवं नगर पंचायतें 30.00 लाख रुपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगी।
- (ii) तकनीकी स्वीकृति की शक्ति एवं निविदा निष्पादन की शक्तियों में भी व्यापक विकेन्द्रीकरण किया गया है। **नई व्यवस्था निम्नवत है :-**

पदाधिकारी का पदनाम	तकनीकी स्वीकृति की शक्ति	निविदा निष्पादन की शक्ति
1	2	3
सहायक अभियंता	10 लाख तक	शून्य
कार्यपालक अभियंता	50 लाख तक	25 लाख तक
अधीक्षण अभियंता	50 लाख से 2 करोड़ तक	50 लाख से 2 करोड़ तक

**12. होल्डिंग टैक्स के बकाये के भुगतान हेतु Onetime Settlement योजना :-**

शहरी स्थानीय निकायों में पूर्व के वर्षों के बकायेदारों से होल्डिंग टैक्स की वसूली सुनिश्चित करने एवं उन्हें सुविधा देने के प्रयोजन से यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार सभी शहरी स्थानीय निकायों में Onetime Settlement योजना लागू करेगी। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

**13. नगर निकायों में कर्मियों की व्यवस्था :-**

- (i) नगर निकायों के वर्ग 'ग' के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। तदनुसार सभी नगर निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से समेकित अधियाचना भेजेगी।
- (ii) शहरी स्थानीय निकायों में वर्ग 'ग' के विभिन्न कोटि के स्वीकृत रिक्त पदों पर नगर निकाय खुली एवं पारदर्शी व्यवस्था अपनाकर, आरक्षण नियमों का पालन करते हुए संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति, राज्य सरकार की सामान्य नीतियों के तहत कर सकेगी।
- (iii) जिन नगर निकायों में स्वीकृत पद पर्याप्त नहीं हैं, उन नगर निकायों में अतिरिक्त पद विभाग द्वारा सृजित किये जायेंगे।

- (iv) पटना नगर निगम का पुर्नसंरचना।
- (v) सभी नगर निकायों में पूर्णकालिक कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किए जायेंगे।
- (vi) नगर निकायों में अभियंताओं की कमी के कारण सेवानिवृत्त अभियंताओं की नियुक्ति की गयी है।
- (vii) नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त कनीय अभियंताओं के पद पर नगर निकाय, जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है, तब तक के लिए संविदा आधारित सेवानिवृत्त अभियंताओं की नियुक्ति कर सकेगी।

**14. नागरिक सुविधाओं हेतु आधारभूत ढाँचा के लिए भूमि की व्यवस्था :-**

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नागरिक सुविधाओं से संबंधित आधारभूत ढाँचा के निर्माण के लिए जमीन की कठिनाई होती है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में यह नीति बनायी गयी है कि सरकार के किसी एक विभाग को जमीन की आवश्यकता है और दूसरे विभाग के पास जमीन उपलब्ध होती है तो दोनों विभागों की सहमति से समाहर्ता तीन एकड़ तक की भूमि का अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण कर सकते हैं। इस प्रावधान को नगर निकायों के लिए लागू किया जाएगा। नगर निकाय क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के संधारण हेतु आवश्यक आधारभूत ढाँचा स्थापित करने के लिए विभिन्न विभागों की उपलब्ध उपयुक्त भूमि अन्तर्विभागीय हस्तांतरण द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से निःशुल्क उपयोग हेतु दी जा सकेगी।

**15. मुख्यमंत्री "आदर्श नगर निकाय" प्रोत्साहन योजना :-**

- (i) राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निकायों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से मुख्यमंत्री "आदर्श नगर निकाय" प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिनका वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा।
- (ii) इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य के एक नगर निगम, दो नगर परिषदों एवं दो नगर पंचायतों को पुरुस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार की यह राशि क्रमशः 5.00 करोड़ (पाँच करोड़), 3.00 करोड़ (तीन करोड़) एवं 1.00 करोड़ रुपये होगी, जिसका उपयोग नगर निकाय स्वविवेक से नागरिक सुविधाओं के सुदृढीकरण के लिए कर सकेगी।

(iii) इस प्रोत्साहन योजना में नगर क्षेत्र की सफाई एवं घरों में शौचालय सबसे प्रमुख घटक होंगे। इसका निर्धारण तटस्थ संस्था द्वारा कराया जाएगा। इसमें ऑनलाईन मत नागरियों से प्राप्त किया जाएगा।

यह कार्य प्रशाखा-5 द्वारा SPUR के माध्यम से संपन्न किया जाय।

16. नगर निकायों को स्थायी पुलिस बल की व्यवस्था की जायेगी।
17. सभी प्रकार के प्रमाण-पत्र अब से आगे नगर निकाय कार्यालयों द्वारा जारी किये जाएंगे।
18. धारा 100 का पालन कराना।
19. Land asset register & encroachment removal.
20. नगर निकाय कर्मियों की स्थानांतरण नीति।
21. उपाध्यक्ष को जिला संचालन समिति में शामिल करना।
22. मस्टर रॉल पर सफाई कर्मियों की व्यवस्था।
23. **Disqualification of Mayor-**
  - (i) Should it be allowed every year? S.25
  - (ii) Should the security of tenure of Municipal Officer with regards to council be also extended? S.41
  - (iii) Sec-27A, Sec-27B, Empowered Committee conduct rule-10.
24. **Magisterial Powers-**
  - (i) Need for magisterial power to municipal officer 133cr.p.c.
  - (ii) Parallel powers to Circle Officer regarding encroachment.
25. Clear guidelines on 75(6) on the financial powers of executive officer.
26. Mandatory inspection of DM/Divisional Commissioner..s.66.
27. **नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन :-**
  - (क) बिहार पंचायत चुनाव 2016 के मद्देनजर नये नगर पंचायतों का गठन, नगर पंचायत से नगर परिषद तथा नगर परिषद से नगर निगम में पुनर्गठन का कार्य तत्काल संपन्न किया जाय।
  - (ख) बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।

## 28. नगरीय प्रशासन :-

- (क) "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाय।
- (ख) शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जाय। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
- (ग) नगर निकायों के 'लोक वित्त' प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
- (घ) शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी के लिए नियमित नियुक्ति की जाय। संविदा/एच०आर० एजेंसी आधारित नियुक्ति की बजाए सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेने हेतु नीति बनायी जाय।
- (ङ) शहरी स्थानीय निकायों के मानव बल की आवश्यकता का पुनर्गठन कराया जाय।
- (च) पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मद्देनजर किया जाय।
- (छ) विकास कार्यों को गति देने के लिए "शहरी अभियंत्रण संगठन" स्थापित किया जाय।
- (ज) Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दों पर कार्रवाई की जाय।
- (झ) शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आच्छादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

## 29. सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित सुशासन के निम्नवत 11 नीति/कार्यक्रम शामिल हैं :-

- (i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

- (ii) शहरों में स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजन से "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" लागू की जाएगी, जिसमें सर्वोत्कृष्ट नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत को प्रोत्साहन स्वरूप धन राशि दी जाएगी।

**प्रशाखा-6 से संबंधित कार्य :-**

1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

**➤ प्रशाखा-07 से संबंधित कार्य :-**

1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन। सुनिश्चित करना कि इस माह एक हजार करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित हो जाय एवं 42.00 करोड़ रुपये का डी०सी० विपत्र समर्पित कर दिया जाय।
2. नगर निकायों के लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना।
3. **14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना :-**

श्री विजय रंजन, उप सचिव को निर्देश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर सचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय।

4. वित्त विभाग में गठित निदेशालय "स्थानीय निधि लेखा" से समन्वय कर नगर निकायों का सामयिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना।

5. **महालेखाकार/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अंकेक्षकों का सेल गठित करना :-**

मैनेजमेंट एवं ऑडिट की समीक्षा हेतु Support Cell के गठन के लिए 05 सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु DFID-SPUR को एक अनुरोध पत्र भेजा जाय।

इस संबंध में जब तक DFID-SPUR से सहमति प्राप्त होती है, तब तक मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के आकस्मिक व्यय मद में उपलब्ध राशि से इनके वेतन (अंतिम वेतन - पेशन) भुगतान का प्रावधान किया जाय। श्री विजय रंजन, उप सचिव इसे सुनिश्चित करेंगे।

यह सेल विभाग में प्राप्त हुए अंकेक्षण प्रतिवेदन यथा महालेखाकार कार्यालय, स्थानीय निधि लेखा, चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्राप्त अंकेक्षण में गड़बड़ियों की समीक्षा करेगी।

6. DEAS को Roll Out कराना।
7. DLFA से नगर निकायों का अंकेक्षण।

➤ **प्रशाखा-8 से संबंधित कार्य :-**

1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।
2. यह सुनिश्चित करना कि लंबित CWJC की संख्या 50 के अंदर पहुँचे एवं लंबित MJC की संख्या 05 के अंदर पहुँचें।

➤ **प्रशाखा-9 से संबंधित कार्य :-**

1. RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।

2. **SQM Functional :-**

विभागीय योजनाओं के अनुश्रवण एवं जाँच हेतु SQM का दल छठ पर्व के बाद क्षेत्रों में भेजा जाय। श्रीमती राखी कुमारी केसरी, विशेष कार्य पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

➤ **प्रशाखा-10 से संबंधित कार्य :-**

1. बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का ससमय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करना।
2. भागलपुर, समस्तीपुर, आरा की परियोजनाओं को आगे बढ़ाना।
3. Property का Computerised डाटाबेस तैयार करना।
4. संसाधनों में वृद्धि करना।
5. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।
6. नागरिक सुविधा को प्रभावी बनाना।

➤ **प्रशाखा-11**

1. **शहरों का सुनियोजित विकास :-**

- (क) नक्सा पारित करने के काम में तेजी लायी जाय। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो। जनसाधारण को कोई कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस हेतु विभाग द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाईन नक्सा प्रबंधन व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाय।
- (ख) "पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी" को शीघ्र कार्यरत किया जाय।
- (ग) पटना मास्टर प्लान, 2031 को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकार की स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया जाय।